


क्रमांक 4214/61/2010  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग,  
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 22/09/2015

//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग-2 के सरल क्रमांक 20 पर उल्लेखित कार्यपालन यंत्री को साधारण भरम्मत कार्यों की स्वीकृति के लिये प्रदान असौमित अधिकारों को सीमित करते हुए, एक वित्तीय वर्ष में संभाग के लिये रू.20.00 लाख तक की सीमा निर्धारित की जाती है, इससे अधिक की स्वीकृति हेतु प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से अनुमति/अनुमोदन प्राप्त कर ही जा सकेंगे।

  
22.9.15

(एम0 जी0 चौबे)

प्रमुख अभियन्ता,  
जल संसाधन विभाग, भोपाल.  
भोपाल, दिनांक 22/09/2015

पृष्ठांकन क्रमांक 4214/61/2010  
प्रतिलिपि :-

- (1) समस्त मुख्य अभियन्ता .....
- (2) समस्त अधीक्षण यंत्री .....
- (3) समस्त कार्यपालन यंत्री .....
- (4) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।  
वेब मैनेजर परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजनाएँ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु अग्रेषित।

  
22-9-15

(एम0 जी0 चौबे)

प्रमुख अभियन्ता,  
जल संसाधन विभाग, भोपाल.

"कुरावाहा"